

प्राचार्य का कार्यालय  
राजकीय पोलिटेकनिक गुलजारबाग, पटना-7

पत्रांक : 190

दिनांक : 03/4/18

कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद (अभातशिप) विनियम 2012 संबंधी अधिसूचना संख्या 37-3/विधिक/2012 दिनांक 25.05.2012 के आलोक में इस संस्थान का पूर्व निर्गत आदेश संख्या 488 दिनांक 24.07.2015 द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) का पुनर्गठन निम्नवत किया जाता है :

1. प्रो० रविन्द्र कुमार, व्याख्याता प्र०को० (विद्युत अभि०) सदस्य
2. प्रो० (डॉ०) विनय कुमार, व्याख्याता व०वे० (अंग्रेजी) सदस्य
3. प्रो० (डॉ०) रामनाथ चौधरी, व्याख्याता व०वे० (मानविकी) सदस्य
4. प्रो० पूर्वाषा घोष, व्याख्याता व०वे० (विद्युत अभि०) सदस्य
5. प्रो० अभय कुमार, व्याख्याता (सिरामिक्स अभि०) सदस्य
6. प्रो० अफरोज अफजल, व्याख्याता (टेक्सटाईल अभि०) सदस्य

उपर्युक्त समिति, जो अगले आदेश तक कार्य करती रहेगी, संबंधित अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिभाषित शिकायतों/किसी शिकायत की प्राप्ति के उपरांत शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
31.5.18

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग, पटना-7

ज्ञापांक : 190

दिनांक : 03/4/18

- प्रतिलिपि :
1. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना ;
  2. सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना एवं
  3. संस्थान के सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
31.5.18

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग, पटना-7

31-3-18